उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 444/2021 **संवाद–144** दिनांक /Date.: 05.08.2021

विषयः– EWS प्रमाण पत्र से सम्बंधित त्रुटियों के सम्बंध में

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि हाल ही में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता(सिविल), पद कोड–131/532 का परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी करने के बाद जब अभिलेख सत्यापन हुआ तो उस समय अभ्यर्थियों के EWS प्रमाण पत्रों के सम्बंध में निम्न त्रुटियां/विसंगतियां देखी गयी है :–

1. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा SC, ST या OBC श्रेणी के साथ–साथ EWS श्रेणी का चयन अपने आवेदन में किया गया है जबकि इस बारे में जारी कानून(अधिनियम) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि SC, ST या OBC श्रेणी को EWS आरक्षण उपलब्ध नहीं है।
2. EWS प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का ना होने के बावजूद EWS श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में किया जाना। साथ ही सामान्य व EWS श्रेणी को बिना EWS प्रमाण पत्र के चयन किया जाना।

कनिष्ठ अभियंता(सिविल) के चयन में इन मामलों पर आयोग द्वारा बैठक में विचार किया गया एवं इस तरह की त्रुटियों को गंभीर माना गया साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को कारण बताओं नोटिस दिये जाने का भी निर्णय लियां गया।

EWS प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार विभिन्न चयनों में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना दी जा रही है। ऐसे में मेरिट में होने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को चयन से वंचित भी रखा जा सकता है। अतः इस संवाद के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे आवेदन पत्र व ओ0टी0आर0 भरने में अतिरिक्त सावधानियां रखें। प्रत्येक आवेदन पत्र भरने के पूर्व ओ0टी0आर0 को उसके अनुरूप संशोधित करें व उसके बाद ही आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करें।

EWS प्रमाण पत्र के मामले में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आरक्षण की एक ऊर्ध्व श्रेणी है व एक उपश्रेणी नहीं है। अतः इसका चयन करते समय प्रमाण पत्र आदि को भली भांति देख लें। एस0टी0, एस0सी0 व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह आरक्षण कानूनन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आरक्षण की दो श्रेणियों के चयन से अभ्यर्थी मेरिट में होने के बावजूद चयन से वंचित रह जायेंगें।

यह भी स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार द्वारा इस आरक्षण की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को स्वीकत किया गया है। अतः इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस अवधि का ध्यान रखें एवं इसे आवेदन पत्र में अनावश्यक चयन/क्लिक न करें।

अभ्यर्थी कृपया यह भी ध्यान दें कि समय–समय पर आयोग आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर देता है अतः इस अवधि में अपने आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर गलतियों का सुधार कर लें। EWS प्रमाण पत्र की त्रुटि को विशेष रूप से देखकर उसका संशोधन कर लें।

अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट करना है कि चयन की प्रकिया आपके आवेदन पत्र भरने से प्रारम्भ होती है। आवेदन पत्र में भरे गये डेटा/प्रविष्टियों के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जाते है एवं उसी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार होता है। साथ ही आवेदन पत्र में अभ्यर्थी यह घोषणा भी भरते है कि उन्होंने आवेदन पत्र को देख लिया है व सभी सूचना सही भरी गयी है व गलत सूचना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

क्रमशः——02

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

राज्य की सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में ऐसी गंभीर त्रुटियों या गलत सूचना देने की अपेक्षा नहीं की जाती है एवं इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त होता है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। कृपया भविष्य में त्रुटिरहित आवेदन पत्र भरना सुनिश्चत करें। तथा संशोधन का अवसर मिलने पर इसका सतर्कता से उपयोग करें।

आयोग की ओर से,

5/8/21

(संतोष बडोनी)

सचिव।